

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. 24644-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३४ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

नगरपालिक लेखाओं
की संपरीक्षा.

“१२९. (१) मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निगम के वार्षिक लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे तथा निगम ऐसे संपरीक्षा शुल्क के भुगतान का दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन, निगम के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नहीं की जाती है तो निगम को राज्य सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन रहते हुए बाहरी अभिकरण से अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का विकल्प होगा.”.

(२) धारा १३०-क एवं १३०-ख को क्रमशः धारा १३०-ख एवं १३०-ग के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १३०-ख के पूर्व निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा
परीक्षक द्वारा संपरीक्षा
का तकनीकी
मार्गदर्शन तथा
पर्यवेक्षण.

“१३०-क (१) धारा १२९ के अधीन, निगम के लेखे, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक निगमों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे.

(२) निगमों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.”.

(३) धारा २९२-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२९२-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा आयुक्त द्वारा दी जाएगी और आयुक्त के आदेश के कालोनियों का विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी।

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा २९२-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा।

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा।

(५) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए।

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए।”।

(४) धारा ३०८-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३०८-ग. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा २९३ से २९९ और धारा ३०० से ३०८-क के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में आयुक्त की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबन्ध संचालक या औद्योगिक अधोसंचारना विकास निगम के प्रबन्ध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में, निहित होंगी। कलक्टर और संबंधित निगम के आयुक्त, प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि ऐसी समिति का सदस्य होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे।”।

भाग दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन।

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा १२१ की उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, १९३३ (क्रमांक ९ सन् १९३३) की धारा ३”, के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) की धारा ४” स्थापित किए जाएं।

(२) धारा १२२-क तथा १२२-ख को धारा १२२-ख तथा धारा १२२-ग के रूप में क्रमशः पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १२२-ख के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

नियंत्रक-महालेखा
परीक्षक द्वारा
संपरीक्षा का
तकनीकी मार्गदर्शन
तथा पर्यवेक्षण।

“१२२-क (१) धारा १२१ के अधीन परिषदों के लेखे संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक परिषदों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे।

(२) परिषदों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो कि उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा.”।

(३) धारा १८७-ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

औद्योगिक क्षेत्रों और
विकास केन्द्रों के
संबंध में भवन
नियंत्रण की शक्ति।

“१८७-घ. (१) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १८७, १८७-क, १८८, १८९, १९० और १९१ के अधीन भवन नियंत्रण के संबंध में परिषद् की शक्तियां, किसी औद्योगिक क्षेत्र अथवा विकास केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों के संबंध में, यथास्थिति, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति में निहित होंगी। कलक्टर का एक प्रतिनिधि और संबंधित नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी समिति का सदस्य होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन समिति में निहित शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(३) उपधारा (१) के अधीन भवन अनुज्ञा और उसके विनियमन के संबंध में उद्गृहीत समस्त शुल्क तथा प्रभार नगरपालिका निधि में जमा किए जाएंगे.”।

(४) धारा ३३९-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कालोनियों का
विकास।

“३३९-ख. (१) कालोनियों के विकास की अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी।

(२) (क) इस अधिनियम और इस निमित्त बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन कालोनी का विकास करते समय कोई कालोनाइजर, जिसे धारा ३३९-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकसित भू-खण्ड या निर्मित आवास गृह उपलब्ध कराएगा।

(ख) ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का आकार, संख्या तथा अवस्थिति ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(३) उपधारा (२) में उल्लिखित ऐसे भू-खण्डों या आवास गृहों का मूल्य, तथा उन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया जिन्हें कि वे कालोनाइजर द्वारा बेचे जा सकेंगे, ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(४) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ३३) लागू था, कालोनाइजर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विहित क्षेत्र में, विहित आकार के विकसित भू-खण्डों को आरक्षित रखना होगा।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भू-खण्डों या आवास गृहों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार, ऐसे मामलों में, जिनमें कि वह समुचित समझे, आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसी रीति में अवधारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए।

(६) आश्रय शुल्क ऐसी रीति में संग्रहीत किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा जो कि विहित की जाए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन प्रभावित हैं।

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(१) तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को, नगरपालिकाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करना चाहिए तथा उसके वार्षिकी तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ नगरपालिकाओं का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का विनिश्चय किया है ताकि राज्य सरकार को उत्तरवर्ती राजवित्तीय वर्ष के लिए अपने निष्पादन अनुदान को निकालने के लिए सक्षम बना सके। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यथोचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

(२) राज्य में, कालोनियों के विकास में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए भू-खण्ड या आवास गृह चिन्हित करने संबंधी उपबंध को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं।

(३) मध्यप्रदेश में, उद्योगों के लिए सहायक वातावरण बनाने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि भवन अनुज्ञा की शक्तियां, जिला उद्योग और व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक या औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक या औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली समिति को प्रत्यायोजित की जाएं। नगरपालिक निगम की दशा में, कलक्टर और संबंधित निगम के आयुक्त के प्रतिनिधि के सदस्य होंगे जबकि नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कलक्टर का एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक १८ नवम्बर, २०११.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप राजकोष पर कोई वित्तीय भार अन्तर्गत नहीं है।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के खण्ड २ एवं ३ के द्वारा राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

भाग-एक: खण्ड-२

उपखण्ड (२) (१) संपरीक्षा शुल्क के भुगतान;

- (२) (ख) किसी कालोनी में आवासगृहों के आकार, संख्या तथा अवस्थिति के संबंध;
- (३) कालोनी में भू-खण्डों/आवासगृहों के मूल्य के निर्धारण तथा उसके लिए व्यक्तियों के चयन तथा विक्रय;
- (४) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्षेत्र एवं आकार के आरक्षण के संबंध में;
- (५) एवं (६) आश्रय शुल्क अधिरोपित करने, उसके संग्रहण तथा उपयोग के संबंध में;

उपखण्ड (४) भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के लिए गठित समिति में निहित शक्तियों के प्रयोग की रीति;

भाग-दो : खण्ड-३

उपखण्ड (३) भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के लिए गठित समिति में निहित शक्तियों के प्रयोग की रीति;

उपखण्ड (४) (१) कालोनी निर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया;

- (२) किसी कालोनी में आवासगृहों के आकार, संख्या तथा अवस्थिति के संबंध में प्रक्रिया;
- (३) कालोनी में भू-खण्डों/आवासगृहों के मूल्य के निर्धारण तथा उसके लिए व्यक्तियों के चयन/विक्रय के लिए प्रक्रिया;
- (५) आश्रय शुल्क अधिरोपित करने, उसके संग्रहण तथा उपयोग के संबंध में प्रक्रिया;

सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा।

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2011—अग्रहायण 5 शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 2011

क्र. 6973-396-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 34 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2011**

**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the
Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

PART - I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(No. 23 of 1956)**

**Amendment to
the Madhya
Pradesh Act No.
23 of 1956.**

**Audit of
Municipal
Accounts.**

**Technical
guidance and
supervision of
audit by the
Comptroller and
the Auditor
General.**

**Development of
colonies.**

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) For Section 129, the following Section shall be substituted, namely:—

“129. (1) Notwithstanding anything contained in Section 4 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the annual accounts of every Corporation shall be subject to audit by the Director, Local Fund Audit under the said Act and the Corporation shall be liable to pay such audit fee as the state Government may, from time to time, specify in this behalf.

(2) If the accounts of Corporation are not audited under sub-section (1) by the Director, Local Fund Audit, the Corporation, shall have the option, subject to sanction of the State Government, to get its accounts audited by an outside agency.”.

(2) Sections 130-A and 130-B shall be renumbered as Sections 130-B and 130-C respectively and before Section 130-B as so renumbered, the following Section shall be inserted, namely:—

“130-A. (1) The accounts of the Corporation shall be audited by the Director, Local Fund Audit under section 129 and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidance and supervision over the audit of Corporations.

(2) The annual audit reports of Director, Local Fund Audit on Corporations along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative Assembly.”.

(3) For Section 292-B, the following Section shall be substituted, namely:—

“292-B (1) The permission of the development of colonies shall be given by the Commissioner and appeal shall lie to the State Government against the order of the Commissioner.

(2) (a) While developing the colony under the provisions of this Act and the rules made in this behalf a colonizer, who has been issued the registration certificate under section 292-A, shall provide fully developed plots or constructed residential houses for the persons belonging to economically weaker section and low income group.

(b) The size, number and location of such plots or houses shall be such as may be prescribed by the State Government.

(3) The cost of such plots or houses mentioned in sub-section (2) and the process of selection of the persons to whom they may be sold by the colonizer shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) In respect of the land on which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) was applicable, the colonizer shall have to reserve developed plots of the prescribed size in the prescribed area for the persons belonging to economically weaker sections.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or houses mentioned in sub-section (2), the State Government may, in such cases as it may consider appropriate, impose a shelter fee to be determined in such manner as may be prescribed.

(6) The shelter fee shall be collected and utilised in such manner as may be prescribed.”.

(4) After Section 308-B, the following Section shall be inserted, namely:—

“ 308-C. (1) Notwithstanding anything contained in the Act, the powers of Commissioner in respect of building control under sections 293 to 299 and Sections 300 to 308-A shall vest in the committee headed by the General Manager of the District Trade and Industry Centre or the Managing Director of the Audhyogik Kendra Vikas Nigam or the Managing Director of the Industrial Infrastructure Development Corporation, as the case may be, in respect of buildings falling under an industrial area or a growth centre. A representative each of the Collector and the Commissioner of concerned Corporation shall be the members of such committee.

Powers of
building control
in respect of
industrial areas
and growth
centres.

(2) The powers vested in the committee under sub-section (1) shall be exercised in such manner as may be prescribed.

(3) All the fees and charges levied in respect of building permission and regulation thereof under sub-section (1) shall be deposited into the Municipal Fund.”.

PART-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO.37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In sub-section (1) of Section 121, for the words, figures and bracket “Section 3 of the Madhya Pradesh Local Fund Audit Act, 1933 (IX of 1933)”, the words, figures and bracket “Section 4 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikisha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973)” shall be Substituted.

Amendment to
the Madhya
Pradesh Act No.
37 of 1961.

“122-A. Technical guidance and supervision of audit by the Comptroller and the Auditor General.

“187-D. Powers of building control in respect of industrial areas and growth centres.

“339-B. Development of colonies.

(2) Section 122-A and 122-B shall be renumbered as Section 122-B and 122-C respectively and before Section 122-B as so renumbered, the following Section shall be inserted, namely:—

(1) The accounts of the Councils shall be audited by the Director, Local Fund Audit under section 121 and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidance and supervision over the audit of Councils.

(2) The annual audit reports of Director, Local Fund Audit on Councils along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Audit General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative Assembly.”.

(3) After Section 187-C, the following Section shall be inserted, namely:—

(1) Notwithstanding anything contained in the Act, the powers of Council in respect of building control under Sections 187, 187-A, 188, 189, 190 and 191 shall vest in the committee headed by the General Manager of the District Trade and Industry Centre or the Managing Director of the Audyogik Kendra Vikas Nigam or the Managing Director of the Industrial Infrastructure Development Corporation, as the case may be, in respect of buildings falling under an industrial area or a growth centre. A representative of the Collector, and the Chief Municipal Officer of the concerned Municipality shall be the members of such committee.

(2) The powers vested in the committee under sub-section (1) shall be exercised in such Manner as may be prescribed.

(3) All the fees and charges levied in respect of building permission and regulation thereof under sub-section (1) shall be deposited into the Municipal Fund.”.

(4) For Section 339-B, the following Section shall be substituted, namely:—

(1) The permission of the development of colonies shall be given by the Competent Authority and appeal shall lie to the State Government against the order of the Competent Authority.

(2) (a) While developing the colony under the provisions of this Act and the rules made in this behalf, a colonizer who has been issued the registration certificate under section 339-A, shall provide fully developed plots or constructed residential houses for the persons belonging to economically weaker Section and low income group.

(b) The size, number and location of such plots or houses shall be such as may be prescribed by the State Government.

(3) The cost of such plots or houses mentioned in sub-section (2) and the process of selection of the persons to whom they may be sold by the colonizer shall be such as may be prescribed by the State Government.

(4) In respect of the land on which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) was applicable, the colonizer shall have to reserve developed plots of the prescribed size in the prescribed area for the persons belonging to economically weaker Sections.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or houses mentioned in sub-section (2), the State Government may, in such cases as it may consider appropriate, impose a shelter fee to be determined in such manner as may be prescribed.

(6) The shelter fee shall be collected and utilised in such manner as may be prescribed.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Certain amendments are proposed in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

2. The salient features of the proposed amendment are as under:—

(1) The Thirteenth Finance Commission has recommended in its report that Comptroller and Auditor General of India should give technical guidance and supervision over the audit of Municipalities and his annual technical inspection report as well as the annual audit reports on the Municipalities should be laid on the table of the Legislative Assembly. The State Government has decided to put in place such a system so as to make the State eligible to draw down its performance grant for the succeeding fiscal year. In order to ensure compliance of the recommendation of the Thirteenth Finance Commission suitable amendments have been proposed.

(2) With a view to rationalize the provision of earmarking of plots or houses for the economically weaker Sections and lower income groups in the development of the colonies in the State, suitable amendments are proposed.

(3) With a view to create conducive environment for the industries in Madhya Pradesh it is proposed to delegate powers of building permission to a committee headed by the General Manager of District Trade and Industry Centre or the Managing Director of Audyogik Kendra Vikas Nigam or the Managing Director of Industrial Infrastructure Development Corporation. The representative of Collector and the Commissioner of concerned corporation shall be the members of committee in case of a Municipal Corporation, whereas the Chief Municipal Officer and representative of the Collector shall be the members in the committee in case of a Municipal Council or Nagar Parishad.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated : the 18th November, 2011.

BABULAL GOUR
Member-in-charge.